न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 57 / 2019

उनवान

1. नौरत पुत्र सुगनदास जाति वैष्णव नि0 ग्राम सुरजपुरा, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. श्रीनारायण,
2. श्रीकिशन,
3. महावीर,
4. शम्भूलाल,
5. दुर्गाप्रसाद,
6. सीतादेवी पि. मदनलाल जाति ब्राहमण नि0 मोराझडी, नसीराबाद,
7. उप पंजीयन अधिकारी,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 3 से 6 स्वयं अनुपस्थित
1 से 2 अनुपस्थित
7 व 8 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 6.5.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुरजपुरा प0म0 देवलिया की निम्न आराजी वादी [illegible]

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
7	4–11–0	6	0.74

वर्किंग जमाबंदी में दर्ज खातेदार [illegible] जाति ब्राहमण [illegible] आराजी मुतनाजा वर्किंग खसरा नम्बर 7 रकबा 4–11–0 को [illegible]त पुत्र सुगनदास को [illegible] 07.07.2001 को विक्रय का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। विक्रेता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार तत्कालीन राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 113 द्वारा वादी को खातेदारी दी गयी थी। वर्तमान राजस्व रेकाड बनाते समय हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 0.74 को विक्रेता मदनलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक वादी जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति पेश की। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम सुरजपुरा के हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 0.74 हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 7 थे। वर्किंग खसरा नम्बर 7 रकबा 4–11–0 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता मदनलाल पुत्र श्री बालूराम जाति ब्राहमण द्वारा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 6.7.01 को वादी को विक्रय कर कब्जा व दखल सौप दिया था। उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 10.07.01 द्वारा आराजी मुतनाजा वादी के नाम दर्ज कर वर्किंग जमाबंदी में अंकन किया गया। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता द्वारा आराजी मुतनाजा के विक्रय के पश्चात धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। वादी का उक्त आराजी पर कब्जा सिद्व होता है। उसके विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति पेश की है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। अतः वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम सूरजपुरा प0म0 देवलिया के हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 0.74 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के स्थान पर वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौरत बनाम श्रीनारायण

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 57/2019
पेश करने की दिनांक – 03.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई प्रतिवादी संख्या 3 से 6 स्वयं उपस्थित राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सूरजपुरा प0म0 देवलिया के हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 0.74 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के स्थान पर वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 5 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला–अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:02 IST
Reason: SelfAttested